संख्या–1168/33–3–2007–165/2002

प्रेषक,

आर0 के0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक: जून, 2007

विषय:– संचित गॉव कोष में जमा धनराशि का न्यूनतम 75 प्रतिशत अंश गॉव निधि में स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्या–2267/33–3–2002–165/2002, दिनांक–19.07.2002 तथा संख्या–469, दिनांक–28.04.2006 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950 की धारा–124 के अधीन स्थापित गॉव निधि (गॉव कोष) में मछली के टेकों, तालाबों, पोखरों, झीलों, आदि की नीलामी/पट्टा आदि से प्राप्त समस्त आय की धनराशि तथा इसी अधिनियम की धारा–125 "क" के अधीन स्थापित संचित गॉव कोष में धारा–122 "बी" के अन्तर्गत लगाये गये दण्ड और क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा की जाती है। विधिक स्थिति यह है कि इस प्रकार प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि गॉव कोष में ही जमा की जानी चाहिये। इस प्रकार जमा की गयी राशि में से अधिकतम 25 प्रतिशत राशि जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार निकाल कर संचित गांव कोष में डाली जा सकती है। इस विधिक स्थिति के विपरीत व्यवहार में नीलामी आदि से प्राप्त कुल राशि संचित गांव कोष में डाल दी जाती है और बाद में पंचायती राज विभाग संचित गांव कोष में उपलब्ध राशि में से 75 प्रतिशत राशि गॉव कोष में डालने का प्रयास करता है। यह प्रक्रिया विधि के विपरीत तो है ही, इसके साथ स्थिति यह भी है कि पंचायती राज विभाग के उक्त प्रयास बहुत कम सफल हो पाते हैं और वर्षों तक ऐसी राशियां अनावश्यक रूप से संचित गांव कोष में पड़ी रह जाती हैं। ऐसी स्थिति में गांव कोष के उपयोग से ग्राम पंचायत स्तर के विकासात्मक कार्यों का सम्पादन बाधित होता है। उक्त स्थिति के आलोक में राजस्व अनुभाग–2 से समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को सम्बोधित शासनादेश सं0–896/1–2–2005–रा–2, दिनांक–03 जून, 2005 द्वारा इस आशय के निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि गॉव सभा के तालाबों आदि की नीलामी आदि से प्राप्त आय तत्काल सम्बन्धित गॉव कोष में जमा करा दी जाये और कुल

राशि की अधिकतम् 25 प्रतिशत धनराशि संचित गाँव कोष में भी अनिवार्य रूप से जमा की जाये।

2— अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद स्तर पर संचित गाँव कोष में वर्षवार जमा की गई धनराशि का दिनांक 31—5—07 तक का विवरण तैयार कर लिया जाये और इसकी सूचना विलम्बतम् दिनांक 30—6—07 तक निदेशक, पंचायती राज को उपलब्ध करायी जाये। साथ ही, उसमें से सम्बन्धित गाँव निधि में जमा की जाने वाली न्यूनतम 75 प्रतिशत धनराशि का भी आगणन करते हुये उसे सम्बन्धित ग्राम पंचायत की गाँव निधि में जमा करना सुनिश्चित किया जाये। जिलाधिकारी द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व एवं निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 को तत्काल इसकी सूचना उपलब्ध करायी जाये। भविष्य में उक्त विधिक स्थिति के विपरीत इस प्रकार की कार्यवाही की पुनरावृत्ति रोकने के लिये अधिनियम व नियमावली के सन्दर्भित प्राविधानों का कड़ाई से परिपालन भी सुनिश्चित किया जाये ।

भवदीय,

(आर0 के0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या—1168(1) / 33—3—2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र सं0— 896 / 1—2—05—रा—2, दिनांक—03.06.2005 के संदर्भ में।
2— समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3— निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ।
4— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5— समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत), उ0प्र0।
6— समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि वे जिलाधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर नियमानुसार यथोचित कार्यवाही सम्पन्न करावें तथा कृत कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह उपलब्ध करावें।